शीर्ष प्राथमिकता

संख्या–329 /XVIII-B-1/2020-13(5)/2007

प्रेषक,

अमित सिंह नेगी,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तराखण्ड।

आपदा प्रबन्धन अनुभाग–1 **देहरादूनः दिनांक 20 मई, 2020**

विषय– **आगामी मानसून अवधि में अतिवृष्टि, बाढ़, त्वरित बाढ़, भूस्खलन एवं नदियॉ का जल स्तर बढ़ने के फलस्वरूप विशेष सतर्कता बरतने एवं पूर्व तैयारी रखे जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

जैसा कि आप अवगत है कि राज्य में दक्षिण–पश्चिम मानसून की अवधि में होने वाली भारी वर्षा, भूस्खलन, बाढ़, त्वरित बाढ़, बादल फटना, अतिवृष्टि एवं नदियों के जल स्तर बढ़ने के कारण सम्भावित जन–धन की हानि एवं सार्वजनिक क्षेत्र की परिसम्पत्तियों की क्षति के दृष्टिगत पूर्व तैयारी करते हुये राहत व बचाव कार्यो हेतु विशेष सतर्कता बरतने की आवश्यकता है।

उक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने निर्देश हुआ है कि कृपया मानसून अवधि में आपदा के बेहतर प्रबन्धन एवं न्यूनीकरण उपायों हेतु निम्नलिखित बिन्दुओं पर प्राथमिकता के आधार पर तैयारी एवं तद्नुसार कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें:–

1. समय–समय पर जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण की बैठकें आयोजित की जाय व उनके कार्यवृत्त शासन को उपलब्ध कराये जाय।
2. जनपदों में प्राथमिकता के अनुसार भूस्खलन, बाढ़ आदि से सम्बन्धित संवदेनशील स्थलों को चिन्हींकरण कर उक्त स्थानों के निकटतम आपदा राहत संसाधनों की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। ऐसे स्थानों से नियमित सूचनायें प्राप्त करने की व्यवस्था की जाए।
3. मानसून अवधि में जनपद आपातकालीन परिचालन केन्द्रों तथा बाढ़ नियंत्रण केन्द्रों को 24X7 के आधार पर नियमित रूप से संचालित किया जाए व इनके लिये उपलब्ध कराये गये समस्त उपकरणों का रख–रखाव सुनिश्चित करा लिया जायें। यह भी सुनिश्चित किया जाये कि आपदा प्रबन्धन प्रयोजनों हेतु स्थापित जनपद आपातकालीन परिचालन केन्द्रों का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन हेतु न किया जाय। इस हेतु स्वीकृत पदों के सापेक्ष नियमानुसार पर्याप्त अधिकारियों/कर्मचारियों की तैनाती सुनिश्चित कर ली जाए।
4. जनपद में घटित होने वाली समस्त आपदाओं की सूचना यथा समय जनपद व राज्य आपातकालीन परिचालन केन्द्र को उपलब्ध करवायी जाये और केवल इन आपदाओं के सापेक्ष ही राज्य आपदा मोचन निधि (SDRF) से राहत व विभागीय परिसम्पत्तियों की मरम्मत हेतु धनराशि उपलब्ध करवायी जाये।
5. जनपद स्तर पर प्रत्येक विभाग से समन्वय स्थापित कर विभागीय नोडल अधिकारी नामित करा लिये जाए। नामित नोडल अधिकारियों द्वारा किसी भी प्रकार की प्राकृतिक आपदा की स्थिति में जनपद आपातकालीन परिचालन केन्द्र को अपने विभाग से सम्बन्धित सूचना उपलब्ध करायी जायेगी तथा सूचना का संकलन, विश्लेषण कार्ययोजना की तैयारी के साथ जनपद आपातकालीन परिचालन केन्द्रों द्वारा संकलित सूचना तत्काल राज्य आपातकालीन परिचालन केन्द्र, सचिवालय परिसर, देहरादून को उपलब्ध करायी जायेगी। समस्त विभागों के नोडल अधिकारियों के नाम/पदनाम/दूरभाष (कार्यालय/आवास) तथा मोबाइल नम्बर जनपद आपातकालीन परिचालन केन्द्र तथा राज्य आपातकालीन परिचालन केन्द्र में उपलब्ध करा दिये जाये।
6. आई.आर.एस. सिस्टम से सम्बन्धित नामित अधिकारियों से भी अनवरत समन्वय रखा जाए, जिससे किसी आपदा के समय सुव्यवस्थित राहत/बचाव एवं प्रतिवादन किया जा सके। मानसून सत्र में इन अधिकारियों की एक बैठक प्रत्येक सप्ताह अवश्य की जाए। नोडल अधिकारी के पास अपने विभाग से सम्बन्धित संसाधनों की सूची (Resource Inventory) व अन्य सूचनायें हर समय उपलब्ध रहनी चाहिए।

संसाधनों का विवरण इस प्रकार रखा जाय जिससे आपदा के प्रथम 72 घण्टों में विशेष रूप से सुनियोजित व त्वरित प्रतिवादन हो सकें।

7. सेंट्रल वाटर कमीशन, राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण, सिंचाई विभाग एवं मौसम विभाग तथा अन्य विभागों/संस्थाओं की मदद से ऐसे क्षेत्रों में नदियों के बहाव/व्यवहार की सतत जानकारी रखी जाए तथा विभिन्न स्रोतों से सूचनायें संकलित कराकर Early warning System स्थापित करते हुए ऐसे क्षेत्रों को त्वरित बाढ़ आने से पूर्व ही खाली कराकर जन–धन की सुरक्षा के समुचित उपाय सुनिश्चित किये जाएं ताकि बचाव कार्यो में अनावश्यक विलम्ब न हो।

8. नदियों के जल स्तर को भी निरन्तर समीक्षा करते रहे, नदी तटों पर स्थित आबादी क्षेत्रों एवं बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का चिन्हीकरण तथा शासन को सम्भावित आपदा की प्रत्येक स्थिति से समय पूर्व तैयारी व कृत कार्यवाही से कृपया अवगत कराते रहें।

9. केन्द्रीय जल आयोग, बाढ़ प्रबन्धन संगठन, भारत सरकार द्वारा भी मानसून अवधि में बाढ़ एवं अन्य दैवी आपदाओं की घटनाओं की दैनिक एवं साप्ताहिक रिपोर्ट हेतु प्रारूप निर्धारित किये गये हैं, जो जनपदों को पूर्व ही प्रेषित किये जा चुके है। अतः निर्धारित प्रारूप पर प्राकृतिक आपदा की घटित घटनाओं की सूचनायें शासन को ससमय उपलब्ध करायी जाए ताकि उक्त सूचनायें समय पर भारत सरकार को प्रेषित की जा सके। केन्द्रीय जल आयोग द्वारा राज्य मे स्थित प्रमुख नदियों के जल स्तर एवं बाढ़ की स्थिति की जानकारी हेतु अपने स्तर पर समुचित सम्पर्क एवं समन्वय स्थापित कर सम्बन्धित कार्यो हेतु राज्य हित में एकरूपता स्थापित करने का प्रयास किया जाए।

10. बाढ़ के दृष्टिगत विशेष रूप से प्रभावित होने वाले जनपद हरिद्वार, ऊधमसिंह नगर, नैनीताल तथा देहरादून में बाढ सुरक्षा से सम्बन्धित तैयारी की विस्तृत रूप–रेखा तैयार कर ली जाए। ऐसे प्रभावित क्षेत्रों का चिन्हीकरण कर जन–जागरूकता व खोज एवं बचाव से सम्बन्धित जानकारी दे दी जाए।

11. प्राकृतिक आपदा के समय त्वरित बाढ़, बादल फटना, भूस्खलन तथा बाढ़ आने से प्रशासनिक मशीनरी को Response Time कम मिल पाता है तथा सम्भावित क्षति को रोकने के लिए प्रभावी (Preventive) निरोधात्मक कार्यवाही समय से पूर्व नहीं हो पाती है। अकस्मात होने वाली घटनाओं के कारण अग्रिम चेतावनी देना व समय से पूर्व क्षेत्र को खाली न करा पाना आपदा का एक मुख्य कारण बन जाता है। अतः ऐसी अपरिहार्य परिस्थितियों का सामना करने व समय से पूर्व चेतावनी देते हुए क्षेत्रों को खाली कराने का कार्य कराना जन–धन की सुरक्षा हेतु परम आवश्यक है। जनपद स्तर पर इस हेतु त्वरित कार्यवाही कराना सुनिश्चित किया जाए।

12. प्राकृतिक आपदा से क्षतिग्रस्त तात्कालिक प्रकृति की विभागीय परिसम्पत्तियों के मरम्मत/पुर्नस्थापना कार्यो एवं प्रभावितों को राहत सहायता वितरण राज्य आपदा मोचन निधि (SDRF) के मानकों के अनुसार सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर सुनिश्चित किया जाए। राहत एवं बचाव हेतु उपकरणों आदि की आवश्यकता के सम्बन्ध में डी0डी0एम0ए0 स्तर पर इनकी समीक्षा करते हुये नियमानुसार क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जाए तथा यह भी सुनिश्चित किया जाये कि जो उपकरण उपलब्ध है, वे क्रियाशील स्थिति में हो।

13. जिन क्षेत्रों में बाढ़ तथा त्वरित बाढ़ (Flash Floods) आने की सम्भावना हो, खनन कार्य रोकने तथा ऐसे सम्भावित खतरनाक क्षेत्रों में मजदूरों इत्यादि को असुरक्षित स्थानों से आपदा आने से पूर्व ही हटाने की कार्यवाही सुनिश्चित कर ली जाए।

14. समस्त जनपदों में मौसम विभाग द्वारा स्थापित Rain Gauge का रख–रखाव एवं दैनिक वर्षा की सूचना फैक्स/रेडियोग्राम, ई–मेल द्वारा प्रतिदिन भेजी जानी सुनिश्चित की जाए।

15. मौसम विभाग से समन्वय कर नियमित रूप से मौसम पूर्वानुमान व चेतावनी उपलब्ध करवाये जाने की व्यवस्था को पुष्ट करते हुये चेतावनी के प्रचार–प्रचार की व्यवस्था की जाये।

16. जनपदों में बरसाती नालों तथा नदियों की अतिक्रमित भूमि पर निर्मित भवनों को यथा आवश्यकता अतिशीघ्र खाली करा दिया जाए तथा जन–जागरूकता कार्यक्रम एवं प्रचार–प्रसार किया जाए।

17. बाढ़ इत्यादि प्राकृतिक आपदाओं के समय सभी विभागों के साथ समन्वय स्थापित कर एकजुटता के साथ निपटा जाए तथा प्राकृतिक आपदा की स्थिति में राहत शिविरों, चिकित्सा सुविधाओं एवं खाद्य सामग्री आदि की व्यवस्था पूर्व तैयारी के अन्तर्गत सुनिश्चित करा ली जाए।

18. राज्य आपातकालीन परिचालन केन्द्र 24 घंटे खुला रहता है। अतः किसी भी प्रकार की प्राकृतिक आपदा की सूचना तत्काल ई–मेल seoc.dmmc@gmail.com व ई–मेल disastersection.uk@gmail.com

दूरभाष संख्या–1070, 0135–2710334 तथा फैक्स संख्या–0135–2710335, 2712058 पर उपलब्ध करा दी जाए। सम्बन्धित आपदा प्रबन्धन अधिकारी प्रतिदिन जनपद में घटित आपदाओं की सूचना प्रातः 9.00 बजे एवं सांय 5.00 बजे तक राज्य आपातकालीन परिचालन केन्द्र को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। जनपद में आपदा घटित न होने की स्थिति में शून्य सूचना उपलब्ध करायी जायेगी।

19. पूर्व मे राज्य में जिन स्थानों पर भूस्खलन तथा त्वरित बाढ़ से सम्बन्धित आपदा की घटनायें हुई है, उन स्थानों पर विशेष ध्यान देना तथा भूस्खलन प्रभावित राजमार्ग का वैकल्पिक मार्ग को वन विभाग के समन्वय से तय करना जैसे जनपद बागेश्वर का कपकोट, जनपद पिथौरागढ़ का धारचूला व मुनस्यारी, जनपद रूद्रप्रयाग, जनपद उत्तरकाशी के मोरी, नैटवाड, चमोली, बूढ़ाकेदार आदि संवेदनशील स्थान। नेपाल में अतिवृष्टि की दशा में अधिक बाढ़/त्वरित बाढ़ की सम्भावना हो सकती है। अतः सीमावर्ती जिलों पिथौरागढ़, चम्पावत तथा ऊधमसिंह नगर के जिलाधिकारी इस सम्बन्ध में सम्बन्धित अधिकारियों से लगातार समन्वय स्थापित करते हुये सूचना राज्य सरकार को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

20. समस्त जनपदों में मुख्य तौर पर बाढ प्रभावित क्षेत्रों में स्वास्थ्य विभाग द्वारा आपदा से पूर्व तथा आपदा के बाद फैलने वाली बीमारियों की रोकथाम हेतु बनायी गई योजना का क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए।

21. जनपद, ब्लॉक तथा ग्राम स्तर पर राहत शिविरों के लिये चिन्हित भवनों की स्थिति का आंकलन कर लिया जाये तथा अतिरिक्त राहत शिविरों की आवश्यकता की स्थिति में इसकी व्यवस्था की जाए।

22. लोक निर्माण विभाग तथा सीमा सड़क संगठन के उपकरणों, विशेष रूप से Dozer, Earth moving Equipment, Cranes आदि की उपलब्धता तथा संवेदनशील स्थानों पर इनकी उपलब्धता की स्थित की जानकारी उपलब्ध करायी जाए।

23. प्राकृतिक आपदा की स्थिति मे स्वास्थ्य विभाग, गैर सरकारी संगठन तथा निजी संस्थानों के जनपद में उपलब्ध रोगी वाहन, मोबाइल हैल्थ वाहनों यथा– EMRI 108 का सहयोग लिया जाए।

24. जनपद तथा मण्डल स्तर पर आपदा के दौरान एस.डी.आर.एफ., सेना, आई.टी.बी.पी., एस.एस.बी., पी.ए. सी. तथा अन्य पैरामिलिट्री दलों के साथ समन्वय स्थापित किया जाए।

25. राष्ट्रीय स्तर पर National Disaster Response Force, NDRF की स्थापना की गई है। जिसकी भटिण्डा एवं गाजियाबाद स्थित 02 बटालियनों से जरूरत पड़नें पर सम्पर्क किया जा सकता है, इसके अतिरिक्त एन.डी.आर.एफ. की एक टुकड़ी देहरादून में भी स्थापित है, इसका भी उपयोग किया जा सकता है।

26. केन्द्रीय जल आयोग द्वारा नदियों के जल प्रवाह/जलस्तर एवं दैनिक वर्षा से संबन्धित सूचनाएँ आपदा प्रबन्धन विभाग, राज्य आपातकालीन परिचालन केन्द्र, राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण, सचिवालय परिसर, देहरादून को नियमित रूप से उपलब्ध करवायी जाए तथा राज्य आपातकालीन परिचालन केन्द्र द्वारा तैयार की जाने वाली दैनिक/नियमित आख्याओ में वर्षा एवं जल–प्रवाह सम्बन्धित सूचनाओं का समावेश अवश्य किया जाए।

27. मौसम विभाग द्वारा राज्य एवं जनपद स्तर पर स्थापित आपातकालीन परिचालन केन्द्र को नियमित रूप से मौसम सम्बन्धित सूचनायें प्रेषित की जानी सुनिश्चित की जाए।

28. टिहरी जल विद्युत विकास निगम (टी.एच.डी.सी) व अन्य सम्बन्धित विभागों द्वारा टिहरी जलाशय एवं जल प्रवाह की स्थिति की सूचना जनपद एवं राज्य आपातकालीन परिचालन केन्द्र को नियमित रूप से प्रेषित की जानी सुनिश्चित करते हुए निरन्तर अनुश्रवण एवं सुरक्षा व बचाव हेतु यथा आवश्यक कार्यवाही भी सुनिश्चित की जाए।

29. खोज एवं बचाव कार्यो में प्रशिक्षित पुलिस कार्मिकों को आवश्यक उपकरणें सहित आपदा सम्भावित क्षेत्रों के समीप स्थित थानों/चौकियों में तैनात किया जाना सुनिश्चित किया जायें। सेनानायक, राज्य आपदा प्रतिवादन बल से भी निरन्तर समन्वय स्थापित करते हुए उनका सहयोग राहत एवं बचाव कार्यो में प्राप्त किया जायें।

कृपया उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

भवदीय,

(अमित सिंह नेगी)
सचिव।

संख्या– ⁄ (1)/XVIII-B-1/20-13(5)/2007 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. समस्त अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव / सचिव / सचिव (प्रभारी), उत्तराखण्ड शासन।
2. पुलिस महानिदेशक, उत्तराखण्ड।
3. पुलिस महानिरीक्षक, एस.डी.आर.एफ., देहरादून।
4. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी एवं कुमायूँ मण्डल, नैनीताल।
5. अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी (कियान्वयन / प्रशासनिक शाखा), यू.एस.डी.एम.ए. सचिवालय परिसर, देहरादून।
6. विभागाध्यक्ष, सिंचाई, लो.नि.वि., चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, खाद्य विभाग, उत्तराखण्ड।
7. निदेशक, राज्य मौसम केन्द्र, भारतीय सर्वेक्षण विभाग, 17, ई.सी. रोड, देहरादून।
8. निजी सचिव, मा. मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड शासन।
9. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
10. प्रभारी अधिकारी, मीडिया सेन्टर, सचिवालय परिसर, देहरादून।
11. राज्य सूचना अधिकारी, एन.आई.सी., सचिवालय परिसर, देहरादून।
12. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, टी.एच.डी.सी. ऋषिकेश।
13. अधिशासी निदेशक, यू.एस.डी.एम.ए. / डी.एम.एम.सी, सचिवालय परिसर, देहरादून।
14. अधिशासी अभियन्ता केन्द्रीय जल आयोग,देहरादून।
15. अधीक्षण अभियन्ता, केन्द्रीय जल आयोग, 156 बसन्त विहार, देहरादून।
16. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(देवेन्द्र पालीवाल)
अपर सचिव।